

सिवाराम

विश्वनवर्ग

212

40

2022


श्री १११ कायदा १९५६ के तहत

नम्बर व तारीख
अनुक्रम की इस
दस्तावेज की तारीख
के तारीख

6/6/2022


सर्वदादा/प्राथी उप/जाच रिपोर्ट
हो गई है प्रत्येक दर्ज रजिस्ट्रार हा

जातवादा अप्राथमिक के विरुद्ध नोटिस
जारी किए जाकर पत्रावली आईन्द
दिनांक 8/7/22 में वास्ते तन्ही पेश हो


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

8/11/22

पत्रावली पेश हुई प्राथी की ओर से वकील श्री गजानन्द
सिंह रावत द्वारा उपरिस्थित घांउर नामा वाद पत्र पेश
करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रा.पत्र.
विशे करने से सम्बंधित टिप्पणी पत्रावली पर अंकित
की वकील प्राथी को सुना गया। वकील प्राथी पत्रावली
पर अंतिम ~~किस~~ कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं/ ऐसी
दरामें प्रा.पत्र पर आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं
रह जाती है। अतः नामा वाद पत्र प्रस्तुत करने के
प्राथी के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्राथीना-
पत्र पर कार्यवाही इसी ~~प्र~~ स्तर पर समाप्त
की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार हो। नम्बर
से ~~अ~~ घांउर देखिल दफ्तर हो।

अपेक्षित
को सुरक्षित रखते
इस नामा वाद पत्र
का उक्त पत्रावली
पर कोई कार्यवाही
इस




Scanned with CamScanner
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)